न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 106/2024

प्रार्थी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री पुखराज पुत्र श्री जवानमल जाति प्रजापत निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही, प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रवीण कुमार छीपा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री दिनेश सुराणा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 31.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 30141 दिनांक 20.12.2019 बुक संख्या 302 क्षेत्रफल 198 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना--पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पट्टा संख्या 30141 दिनांक 20.12.2019 क्षेत्रफल 198 वर्गफीट का नियम 144 राजस्थान पंचायत राज. नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार प्रदत्त हैं। इस विक्रय विलेख के परिवाद की जॉच जिला स्तरीय जॉच कमेटी के द्वारा करने के उपरांत जॉच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 144 की पात्रता नहीं रखने से श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोही के पत्र क्रमांक जिपसि/पंचायत/जॉच/1654 दिनांक 03.08.2023 द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे उक्त

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 02

Scanned with CamScanner

विक्रय विलेख नियम विरूद्ध जारी होने से निरस्त योग्य हैं। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 144 के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो श्री पुखराज पुत्र श्री जवानमल प्रजापत स्वयं तत्कालीन वार्डपंच होते हुए भी ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक दिनांक 20.12.2019 में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति में पत्रावली निर्णित करवाकर नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी करवाया गया तथा प्रतिबन्धित रास्ते की भूमि पर नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया, जो खारिज योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 144 में पात्रता नही रखते हुये भी विक्रय विलेख जारी किया गया, जो निरस्त योग्य हैं। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या पट्टा संख्या 30141 दिनांक 20.12.2019 क्षेत्रफल 198 वर्गफीट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 144 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत भारजा ने किसी प्रकार की कोई नियमों की अवहेलना नहीं की है। प्रश्नगत विक्रय विलेख नियम विरूद्ध ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी किये जाने का कथन गलत है। अप्रार्थी संख्या दो प्रश्नगत भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत भारजा से नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या एक ने प्रश्नगत पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की अवेहलना नहीं की है। प्रश्नगत पट्टा आवासीय मकान से लगती खांचा भूमि (भू–पट्टी) का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की खांचा भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार है। प्रश्नगत भूमि से लगता अप्रार्थी संख्या दो का आवासीय मकान आया हुआ है एवं उक्त मकान से उत्तर दिशा में लगती 3X30 फीट भूमि एवं पूर्व दिशा में लगती 54X2 फीट भूमि अप्रार्थी संख्या दो के कब्जेशुदा भूमि है एवं उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या दो के मकान में सम्मिलित है, जो खांचा भूमि की श्रेणी में आती है। उक्त भूमि शुरू से अप्रार्थी संख्या दो के मकान में सम्मिलित है और उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में 40,403/– रूपए में जारी किया है, जिससे अप्रार्थी संख्या एक को आय प्राप्त हुई है। अन्यथा भी उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या दो के मकान में सम्मिलित रही है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम 144 के अनुसार ग्राम पंचायत को आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि के पट्टे जारी करने का अधिकार है। अप्रार्थी संख्या दो गांव भारजा का स्थायी निवासी है एवं पिछडे वर्ग का है, जिससे अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो से भूमि का मूल्य प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि का विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या दो के हक में निष्पादित करवाया था। दिनांक 20.12.2019 की बैठक में प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में हुई पाक्षिक बैठक में अप्रार्थी संख्या दो उपस्थित नहीं था। अतः उक्त पट्टा जारी करने में अप्रार्थी संख्या एक ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। ग्राम पंचायत भारजा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधान अनुसार वैध रूप से पट्टा जारी किया है, जो किसी भी रूप से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। उक्त पट्टा जारी किये जाने में ग्राम पंचायत भारजा ने किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि या अनियमितता नहीं की है। यह कि प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी हुए करीब 5 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है। प्रार्थी ने अब तक उक्त निगरानी प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण व आधार निगरानी में नहीं दर्शाया है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत के जबाब को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को सव्यय खारिज कराना फरमावे।

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 03

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 144 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह कि प्रश्नगत पट्टा आवासीय मकान से लगती खांचा भूमि (भू-पट्टी) का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की खाचा भूमि का पट्टा जारी करने का पूर्ण हक अधिकार है। प्रश्नगत भूमि से लगता अप्रार्थी संख्या दो का आवासीय मकान आया हुआ है एवं उक्त मकान से उत्तर दिशा में लगती 3x30 फीट भूमि एवं पूर्व दिशा में लगती 54x2 फीट भूमि अप्रार्थी संख्या दो की कब्जेशुदा भूमि है, जो खांचा भूमि की श्रेणी में आती है। उक्त भूमि शुरू से अप्रार्थी संख्या दो के मकान में सम्मिलित है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत भारजा ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में 40,403/- रूपये में जारी किया है। जिससे ग्राम पंचायत को आय प्राप्त हुई है। अन्यथा भी उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या दो के मकान में सम्मिलित रही है। जिसमें ग्राम पंचायत भारजा ने पंचायती राज अधिनियम के नियमों की कोई अवहेलना किसी भी रूप से नहीं की है। प्रार्थी ने अपने स्वविवेक से यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सिरोही को निगरानी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रार्थी को दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सिरोही के निर्देशों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत करने का विधि में कोई अधिकार नहीं है तथा जांच कमेटी ने प्रार्थी से कभी भी प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है एवं न ही प्रार्थी को उक्त तथाकथित जांच के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया है, जिससे तथाकथित जांच एवं उसमें निकाले गये तथाकथित निष्कर्षों से अप्रार्थी संख्या दो किसी भी रूप से पाबन्द नहीं है। प्रश्नगत पट्टा खांचा भूमि, जो अप्रार्थी संख्या दो के पुराने कब्जे की है, का ही जारी किया है, जिससे प्रश्नगत पट्टा निरस्त किये जाने योग्य किसी भी रूप से नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो प्रश्नगत भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत भारजा से नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा अप्रार्थी संख्या एक ने प्रश्नगत पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की अवेहलना नहीं की है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम के अनुसार ग्राम पंचायत को गांव की आबादी में 300 वर्ग गज तक की भूमि के पट्टे जारी करने का अधिकार है। अप्रार्थी संख्या दो गांव भारजा का स्थायी निवासी है एवं पिछडे वर्ग का है। अप्रार्थी संख्या दो ने भूमि का मूल्य अदा कर प्रश्नगत भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित करवाया था। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में दिनांक 20.12.2019 में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति में पत्रावली निर्णित करवाकर नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी करवाये जाने का कथन असत्य, मनघडन्त एवं बनावटी है। दिनांक 20.12.2019 की बैठक में प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में हुई पाक्षिक बैठक में अप्रार्थी संख्या दो उपस्थित नहीं था। अन्यथा भी अप्रार्थी संख्या दो ने उसके पट्टेशुदा भूमि से लगती उत्तर एवं पूर्व दिशा की दो फीट चौडी भू-पट्टिका का खांचे भूमि के रूप में पट्टा प्राप्त किया है एवं उसकी राशि अप्रार्थी संख्या दो ने ग्राम पंचायत भारजा को 40,403/- रूपये अदा कर पट्टा जारी हुआ है। उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत भारजा ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। ग्राम पंचायत भारजा ने नियमों की पालना करते हुए प्रश्नगत भूमि का पट्टा वैध रूप से जारी किया है। ग्राम पंचायत भारजा ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधान अनुसार वैध रूप से मूल्य प्राप्त कर पट्टा जारी किया है, जो किसी भी रूप से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी हुये करीब 5 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है। प्रार्थी ने अब तक उक्त निगरानी प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण व आधार निगरानी में नहीं दर्शाया है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को सव्यय खारिज कराना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 04

Scanned with CamScanner

सरपंच ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 144 के तहत पट्टा संख्या 30141 दिनांक 20.12.2019 क्षेत्रफल 198 वर्गफीट का जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 144 के अनुसार–

144.–भूमि–पट्टी का आवंटन– (1). पंचायत 100 वर्गगज तक की कोई भूमि पट्टी निवासीय प्रयोजनों के लिए और 200 वर्गफुट तक की भूमि पट्टी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान बाजार मूल्य पर आवंटित कर सकेगी।
(2). भूमि पट्टी केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित की जाएगी जिनका विद्यमान मकान/दुकान ऐसी पट्टी से लगी हुई है और उसके लिए अन्य कोई आवेदक नहीं है।
(3). एक से अधिक व्यक्तियों के मकानों/दुकानों के पट्टी से लगी हुई होने के मामले में उन्हें नीलाम किया जाएगा।

प्रार्थी द्वारा मुख्यतः तर्क किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो श्री पुखराज पुत्र श्री जवानमल प्रजापत स्वयं तत्कालीन वार्डपंच होते हुए भी ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक दिनांक 20.12.2019 में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति में पत्रावली निर्णित करवाकर नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी करवाया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ताओं द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में दिनांक 20.12.2019 में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति में पत्रावली निर्णित करवाकर नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी करवाये जाने का कथन असत्य, मनघडन्त एवं बनावटी है। दिनांक 20.12.2019 की बैठक में प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में हुई पाक्षिक बैठक में अप्रार्थी संख्या दो उपस्थित नहीं था। अन्यथा भी अप्रार्थी संख्या दो ने उसके पड़ेशुदा भूमि से लगती उत्तर एवं पूर्व दिशा की दो फीट चौडी भू–पट्टिका का खांचे भूमि के रूप में पट्टा प्राप्त किया है एवं उसकी राशि अप्रार्थी संख्या दो ने ग्राम पंचायत भारजा को 40,403/– रूपये अदा कर पट्टा प्राप्त किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी का यह तथ्य सही है कि दिनांक 20.12.2019 को आहूत की गई पाक्षिक बैठक में अप्रार्थी संख्या दो श्री पुखराज तत्कालीन वार्ड पंच के रूप में उपस्थित था, परन्तु उक्त बैठक में अप्रार्थी संख्या दो के हक में किसी भी प्रकार का कोई निःशुल्क आवंटन या ग्राम पंचायत की किसी भूमि का आंवटन नहीं किया जाकर उसकी कब्जेशुदा भूमि पट्टी का राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 144 के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया था, जिसका ग्राम पंचायत भारजा द्वारा नियमानुसार निर्धारित डी.एल.सी. दर से राशि 40,403/– रूपये प्राप्त की गई है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त विवादित पट्टा ग्राम पंचायत में निर्धारित डी.एल.सी. दर से भुगतान कर प्राप्त किया गया है, जिसमें अप्रार्थी संख्या दो का किसी भी प्रकार का धनीय हित नहीं था। चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 48(3) के तहत किसी भी पंचायतीराज संस्था का कोई सदस्य पंचायत की किसी बैठक में भाग नहीं लेगा यदि उस बैठक में कोई ऐसा प्रश्न है, जिसे जनता पर उसके सामान्य लागूकरण के अलावा उसका कोई भी धनीय हित हो। अतः दिनांक 20.12.2019 को आहूत की गई पाक्षिक बैठक में अप्रार्थी संख्या दो उपस्थित तो था, परन्तु उसमें पारित निर्णय के अनुसार अप्रार्थी संख्या दो द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. दर से राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाकर पट्टा प्राप्त किया है, जिससे ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है, बल्कि उससे ग्राम पंचायत को आय हुई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि अप्रार्थी संख्या दो दिनांक 20.12.2019 को आहूत की गई बैठक में उपस्थित नहीं भी होता तब भी ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 144 के तहत निर्धारित डी.एल.सी. दर पट्टा जारी करने की कार्यवाही संपादित की जाती तथा वही कार्यवाही अप्रार्थी संख्या दो की उपस्थिति में की गई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा प्रतिबन्धित रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 05

Scanned with CamScanner

कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में प्रतिबन्धित रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने हेतु अपात्र होने के सम्बन्ध में निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो किस प्रकार से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 144 के तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है और ना ही उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरपंच ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी वादग्रस्त पट्टा के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन किस आधार पर तैयार किया गया था।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा संख्या 30141 दिनांक 20.12.2019 क्षेत्रफल 198 वर्गफीट में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner